

(c) whether Government would consider immediate doubling of such pensions for artists?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) No such communication has been received.

(b) Does not arise.

(c) Ms. Asghari Bai is getting a monthly pension of Rs. 1,500/- from the Central Government in addition to the monthly pension of Rs. 700/- she had been drawing from the Government of Madhya Pradesh. The State Government has intimated that her pension has been increased to Rs. 1,500/- per month with effect from 1st January, 1997 as a special case.

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों की पदोन्नति के लिए पात्रता मानदण्डों में छूट

2950. श्री शिव चरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभागीय पदोन्नति कोटे द्वारा भरे जाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की पात्रता केवल तभी बनती है जब या तो उनके पास शिक्षा-स्नातक की डिग्री हो अथवा उन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में 45 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों;

(ख) यदि हां, तो उन प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का ब्यौर क्या है जिन्हें पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के बावजूद पदोन्नति किया गया है; और

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति के उम्मीदवारों के लिये पात्रता मानदण्डों में छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया):

(क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षक के पद हेतु अनिवार्य अर्हताएं द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (45 प्रतिशत अंक और उससे अधिक को यथा-समकक्ष माना गया है) और शिक्षण/शिक्षा में विश्वविद्यालय उपाधि/डिप्लोमा है। तथापि स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की शर्त

उनके मामले में लागू नहीं होती जिनके पास मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 05 वर्ष का शिक्षण अनुभव है जिनमें से 03 वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के ग्रेड में होना चाहिए।

रैगिंग के कारण विद्यार्थियों की मृत्यु

2951. श्री शिव चरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न महाविद्यालयों में रैगिंग के मामलों में चालू वर्ष के दौरान कितने विद्यार्थियों की मृत्यु हुई और उनका महाविद्यालय-वार और शहर-वार ब्यौर क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में रैगिंग को रोकने और विद्यार्थियों को यातना से बचाने के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया):

(क) इस विषय पर सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के व्यवहार को निन्दीय और अनुपयुक्त मानती है। विश्वविद्यालयों और संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को इस अभिशाप पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्यवाई करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं और जहां रैगिंग की आड़ में ब्रिश्चिद अपराध होते हैं, वहां कानून में दण्ड के प्रावधान भी रखे गए हैं। विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को रैगिंग को गैर-कानूनी बनाने के लिए अपने आदेशों/निर्णयों में संशोधन करने के लिए कहा गया है और इसमें भाग लेने वालों को "सामूहिक कदाचार" के रूप में अपराधी माने जाने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि अपराधियों को विश्वविद्यालयों से निकालने अथवा नाम काटने का दण्ड दिया जा सके।

Status of Nehru planetarium

2952. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Teen Murti House is a Government property; and

(b) whether Nehru Planetarium is a private organisation on Government land?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) Yes, Sir.

(b) Nehru Planetarium was constructed by the Jawaharlal Nehru Memorial Fund. The land use for its construction has been approved on long term leave and licence basis for a period of 20 years from March, 1982.

सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय निधि

2953. श्री राम जेटमलानी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सांस्कृतिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त निधि में से वित्तीय सहायता का वितरण करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्माई): (क) और (ख) भारत सरकार ने दिनांक 28.11.96 के भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की है। इस अधिसूचना की प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) अधिसूचना, जिसके अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की गयी है, में राष्ट्रीय संस्कृति निधि से वित्तीय सहायता या ऋण प्राप्त करने की बाबत आवेदनों पर विचार करने संबंधी तंत्र को मौटे तौर पर दर्शाया गया है।

Budget provision for mid-day meal scheme

2954. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the budget provision for the mid-day meal scheme for school children for the year 1996-97;

(b) the amount earmarked for Uttar Pradesh and actually made available to it during the year 1996-97;

(c) by when the remaining fund is likely to be provided;

(d) whether providing of the fund under the scheme was an incentive to the parents in order to help reduce the dropout rate of children from the schools; and

(e) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) A budget provision of Rs. 800 crore has been made for 1996-97 for the Scheme of National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE), commonly known as Mid-day Meal Scheme.

(b) and (c) Under this programme Food Corporation of India (FCI) supplies foodgrains to States and Union Territories free of cost and is reimbursed by this Department from the budget provisions.

According to the information furnished by the FCI, the Government of Uttar Pradesh has lifted 2,22,165 metric tonnes of foodgrains upto February, 1997, out of a total allocation of 2,97,289 metric tonnes for 1996-97.

(d) and (e) The programme is intended to give a boost to universalisation of primary education by increasing enrolment, retention and attendance and simultaneously impacting upon nutrition of students in primary classes.